To increase the Employment in State

- *235 Shri. Rao Chiranjeev, M.L.A.: Will the Chief Minister be pleased to state:
 - a) Whether the unemployment has increased in the last eight years in the State; and
 - b) If so, the steps taken by the Government to increase the employment in the State?

Shri. Manohar Lal,

Chief Minister

Sir,

A statement in this regard is laid on the table of the house.

Statement

Sir,

- a) In December 2014, a total of 7.86 lacs applicants were registered with various employment exchanges in the State and whereas in February-2023, the figure has been reduced to 6.46 lacs applicants. Thus, the reduced figures over the period indicate that unemployment has not increased in the State for the last eight years.
- b) However, following appropriate steps are being taken to facilitate youths of the State:-
 - The Government launched the "Educated Youth Allowance and Honorarium Scheme- 2016" popularly known as Saksham Yuva Scheme on 1st November 2016 to provide unemployment allowance and honorarium to the eligible post-graduate youth of Haryana in lieu of 100 hours of honorary work. Later, the Scheme has been extended to include registered Science, Engineering, Science equivalent and Commerce Graduates, Arts graduate of the State. 10+2 pass applicants have also been included in the scheme from August, 2019. Under the Scheme Rs. 3,000/-, Rs. 1500/- and Rs. 900/- are given as Unemployment Allowance to Post Graduates, Graduates and 10+2 pass applicants respectively and 6000/- for honorary assignment to eligible registered Post-Graduate (PG), Graduate(G) and 10+2 pass applicant.
 - To enhance employability of the applicants and to cater the market demands for skilled class, appropriate arrangements for skilling of the youth have been done by imparting them skill training through Haryana Skill Development Mission (HSDM) and Shri Vishwakarma Skill University.
 - To extend available employment opportunities to youth of State,
 especially in private sector, the Directorate of Employment is regularly

arranging, Job fairs, placement drives, placement through job aggregators and vacancy notification under Employment Exchanges(Compulsory Notification of Vacancies)Act,1959 (both in public and private sector).

Also, The Haryana Public Service Commission and Haryana Staff Selection
 Commission invites application from time to time for various categories
 of posts, through advertisement and making selection thereof.

Note for Pad

- ❖ To extend available employment opportunities to youth of State, especially in private sector, the Directorate of Employment is regularly arranging, Job fairs, placement drives, placement through job aggregators and vacancy notification under Employment Exchanges(Compulsory Notification of Vacancies)Act,1959 (both in public and private sector). In December 2014, a total of 7.86 lacs applicants were registered with various employment exchanges in the State and whereas in February-2023, the figure has been reduced to 6.46 lacs applicants. During the period i.e., October-2014 to January-2023, a total of 1,80,426 persons have been placed through above mentioned activities.
- Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) is a profit-oriented, privately owned company. It cannot be said to be unbiased and free from prejudices as CMIE data is available online for purchase, its services generate subscription revenues as it also conducts customized survey as per the requirements of any customer on a paid basis. Hence, its data on unemployment rate (which is suspiciously available for free as "public good") appears to be driven by some disguised agenda, best known to them.

These monthly reports of CMIE contain a number of irregularities in Data, Design, Questionnaire, skewed Geographical & Demographical Sampling and Non-representative Sample. The organization bases its study on a fixed panel of household over a span of four months. Also it counts an individual as employed if he or she is engaged in any economic activity either on the day of survey or is generally regularly. Methodology followed by the company is fraught with errors as CMIE does not prepare any frame of household of a sample village or block before embarking on the survey engaged in an economic activity.

The unemployment rate in State of Haryana by Centre for Monitoring Indian Economy Pvt. Ltd. (CMIE) in its monthly time series, shows a false picture of

employment scenario in Haryana. Earlier also, at many occasions the Government of Haryana has refuted these fictitious figures of unemployment rate published by CMIE. According to following table monthly comparison of CMIE report doesn't seem to be appropriate as huge fluctuation in the percentage of unemployment rate for the State has been reported. However, no justification to the same has been provided on CMIE website or their public releases.

| Sr.No. | Monthly Report | Unemployment Rate |
|--------|----------------|-------------------|
| 1. | January-2022 | 23.4% |
| 2. | February -2022 | 30.9% |
| 3. | March-2022 | 26.5% |
| 4. | April-2022 | 34.5% |
| 5. | May-2022 | 24.6% |
| 6. | June-2022 | 30.5% |
| 7. | July-2022 | 26.9% |
| 8. | August-2022 | 37.3% |
| 9. | September-2022 | 22.9% |
| 10. | October-2022 | 31.7% |
| 11. | November-2022 | 30.6% |
| 12. | December-2022 | 37.4% |
| 13. | January-2023 | 21.7% |

❖ The official data source on Employment and Unemployment is Periodic Labour Force Survey (PLFS) which is conducted by the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MOSPI) since 2017-18 and latest reports of PLFS are available online upto September-2022. Sample. As per media reports, even the Ministry of Labour and Employment, Government of India also questioned the methodology adopted by CMIE for the Consumer Pyramid Household Survey that it conduct thrice a year. The Ministry said that it is not possible for the entire working age population to be engaged in jobs on looking for employment as many may be "either pursuing or engaged in unpaid activities like the production of goods for own consumption, unpaid domestic activities or caregiving services for household members, volunteering and training among others".

The Methodology of CMIE largely emphasized on Urban respondents and surveys are based on their own methodology, while PLFS methodology has been highly scientific and acceptable in official as well as academic circles hence the results are highly inconsistent with PLFS (NSO) data.

The figures of unemployment reported for Haryana by PLFS are as follows:-

| Sr.No. | Annual Report | Unemployment Rate(PLFS) |
|--------|----------------------|--------------------------------|
| 1. | 2017-18 | 8.6% |
| 2. | 2018-19 | 9.2% |
| 3. | 2019-20 | 6.5% |
| 4. | 2020-21 | 6.3% |
| 5. | 2021-22 | 10.2% |

It is pertinent to mention that the Employment Department prepares the reports on unemployment rate on the basis of the data of applicants registered with the employment exchanges only which may not be deemed as an absolute dataset for calculation of unemployment rate.

❖ The Government of Haryana recognizes the importance of providing dignity to our youth and engaging them constructively in gainful assignments. Accordingly, the Government launched the "Educated Youth Allowance and Honorarium Scheme- 2016" popularly known as Saksham Yuva Scheme on 1st Nov 2016 on the occasion of Haryana Swarn Jyanti to provide unemployment allowance and honorarium to the eligible post-graduate youth of Haryana in lieu of 100 hours of honorary work. Later, the Scheme has been extended to include registered

Science, Engineering, Science equivalent and Commerce Graduates, Arts graduate of the State. 10+2 pass applicants have also been included in the scheme from August, 2019. Under the Scheme Rs. 3,000/-, Rs. 1500/- and Rs. 900/- are given as Unemployment Allowance to Post Graduates, Graduates and 10+2 pass applicants respectively and 6000/- for honorary assignment to eligible registered Post-Graduate (PG), Graduate(G) and 10+2 pass applicant.

Since beginning of the Scheme, total 3,96,428 Saksham applications have been approved and total 1,75,749 (P.G.-54,447, Graduate-85,813 and 10+2-35,489) eligible applicants have been assigned honorary work as on 13-02-2023 under the Scheme. During the same period, Rs. 1443.51 Cr. and Rs. 898.64 Cr. have been disbursed as unemployment allowance and honorarium respectively. During the same period, 9,167 Saksham Yuvas have been placed in different sectors and 17,924 Saksham Yuvas have been assigned Skill Training in different trades.

- ❖ To enhance employability of the applicants and to cater the market demands for skilled class, appropriate arrangements for skilling of the youth have been done by imparting them skill training through Haryana Skill Development Mission (HSDM).Skill Training has been assigned to 17,924 Saksham Yuva till 13-02-2023.
- ❖ Haryana Public Service Commission conducts examinations for appointments to Group 'A' and 'B' services after receiving requisitions from the respective departments. The vacancies are advertised by the Commission and thereafter recruitment test/interviews are conducted based on which merit/selection of the candidates is determined. Recommendation of the selected candidates is sent to the Government. The Commission has successfully completed the recruitment process for 4,059 posts during the last 8 years in State in a fair and transparent manner.

❖ Haryana Staff Selection Commission conducts examinations for appointments to Group 'C' and 'D' services and may be called upon to conduct examination for appointment to Group 'B' services if required by the State Government. The Commission devises the mode of selection and fixes criteria for selection to posts as per the requisitions sent by departments to the Commission which are duly advertised in Hindi, English Newspaper & website. The Commission has successfully completed the recruitment process for 97,062 posts during the last 8 years in State in a fair and transparent manner.

राज्य में रोजगार में वृद्धि करना

*235 श्री. राव चिरंजीव, एम.एल.ए. क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- क) क्या राज्य में पिछले आठ वर्षों में बेरोजगारी बढ़ी है; और
- ख) यदि हां, तो राज्य में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री. मनोहर लाल,

मुख्यमंत्री

श्रीमान जी,

इस बारे कथन सभा पटल पर रख दिया गया है |

कथन

श्रीमान जी,

- क) दिसंबर 2014 में, राज्य में विभिन्न रोजगार कार्यालयों में कुल 7.86 लाख आवेदक पंजीकृत थे और फरवरी-2023 में यह आंकड़ा घटकर 6.46 लाख आवेदकओं का रह गया। इस प्रकार, इस अविध में घटे हुए आंकड़े बताते हैं कि पिछले आठ वर्षों में राज्य में बेरोजगारी नहीं बढ़ी है।
- ख) हालांकि,राज्य के युवाओं की सुविधा के लिए निम्नलिखित उचित कदम उठाए जा रहे हैं: -
 - सरकार ने 1 नवंबर 2016 को "शिक्षित युवा भत्ता और मानदेय योजना2016" शुरू की, जिसे हरियाणा के योग्य स्नातकोत्तर युवाओं को 100 घंटे के
 मानद कार्य के बदले बेरोजगारी भत्ता और मानदेय प्रदान करने के लिए सक्षम
 युवा योजना के रूप में जाना जाता है। बाद में, राज्य के पंजीकृत विज्ञान,
 इंजीनियरिंग, विज्ञान समकक्ष और वाणिज्य स्नातक, कला स्नातक को शामिल
 करने के लिए योजना का विस्तार किया गया। अगस्त,2019 से 10+2 पास
 आवेदकों को भी योजना में शामिल किया गया है। योजना के तहत
 रु. 3,000/-,रु. 1500/- और रु. 900/- पोस्ट ग्रेजुएट्स,ग्रेजुएट्स और 10+2
 पास आवेदकों को क्रमशः बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है और पात्र पंजीकृत
 पोस्ट-ग्रेजुएट (पीजी), ग्रेजुएट (जी) और 10+2 पास आवेदकों को मानद कार्य
 के लिए 6000/- रुपये दिए जाते हैं।
 - आवेदकों की रोजगार क्षमता बढ़ाने और कुशल वर्ग की बाजार की मांग को
 पूरा करने के लिए युवाओं को हरियाणा कौशल विकास मिशन
 (एचएसडीएम) तथा श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से कौशल
 प्रशिक्षण देकर उनके कौशल विकास की उचित व्यवस्था की गई है।
 - राज्य के युवाओं के लिए, विशेष रूप से निजी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के लिए, रोजगार निदेशालय नियमित रूप से मेले.

प्लेसमेंट ड्राइव, जॉब एग्रीगेटर्स के माध्यम से नियुक्ति और रिक्ति अधिसूचना के तहत रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 (सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों) में रोजगार की व्यवस्था कर रहा है।

• इसके अलावा, हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग समय समय पर विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए विज्ञापन और चयन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है।

पैड के लिए नोट

- ❖ राज्य के युवाओं के लिए, विशेष रूप से निजी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के लिए, रोजगार निदेशालय नियमित रूप से मेले, प्लेसमेंट ड्राइव, जॉब एग्रीगेटर्स के माध्यम से नियुक्ति और रिक्ति अधिसूचना के तहत रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 (सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों) में रोजगार की व्यवस्था कर रहा है। दिसंबर-2014 में, राज्य में विभिन्न रोजगार कार्यालयों में कुल 7.86 लाख आवेदक पंजीकृत थे और फरवरी-2023 में यह आंकड़ा घटकर 6.46 लाख आवेदक रह गए। अक्टूबर-2014 से जनवरी-2023 की अवधि के दौरान कुल 1,80,426 व्यक्तियों को उक्त गतिविधियों के माध्यम से रोज़गार के अवसरों से जोड़ा गया है।
- ❖ सेंटर फॉर मोनिटिरिंग इंडियन इकॉनमी प्राइवेट लिमिटेड (सीएमआईई) एक लाभोन्मुख, निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। इसे निष्पक्ष और पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं कहा जा सकता है। सीएमआईई डेटा खरीद के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है। सीएमआईई सेवाएं सदस्यता राजस्व उत्पन्न करती हैं। सीएमआईई भुगतान के आधार पर किसी भी ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित सर्वेक्षण भी करता है। इसलिएए बेरोजगारी दर पर इसका डेटा (जो संदेहास्पद रूप से "सार्वजनिक भलाई" के रूप में मुफ्त में उपलब्ध है) कुछ प्रच्छन्न एजेंडे से प्रेरित प्रतीत होता है जो उन्हें सबसे अच्छी तरह से पता है।

सीएमआईई की इन मासिक रिपोर्ट में डेटा, डिजाइन, प्रश्नावली, विषम भौगोलिक और जनसांख्यिकीय नमूनाकरण और गैर-प्रतिनिधि नमूने में कई अनियमितताएं शामिल हैं। संगठन चार महीने की अवधि में घरों के एक निर्धारित पैनल पर अध्ययन करता है। इसके अलावा यह किसी व्यक्ति को नियोजित के रूप में गिनता है यदि वह सर्वेक्षण के दिन या आम तौर पर नियमित रूप से किसी भी आर्थिक गतिविधि में लगा हुआ है। कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली त्रुटियों से भरी हुई है क्योंकि सीएमआईई किसी आर्थिक गतिविधि में लगे सर्वेक्षण को शुरू करने से पहले किसी गांव या ब्लॉक के घर का कोई ढांचागत नमूना तैयार नहीं करता है।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड (सीएमआईई) द्वारा हिरियाणा राज्य में बेरोजगारी दर को अपनी मासिक समय श्रृंखला में हिरियाणा में रोजगार परिदृश्य की एक झूठी तस्वीर दिखाई है। इससे पहले भी कई मौकों पर हिरयाणा सरकार ने सीएमआईई द्वारा प्रकाशित बेरोजगारी दर के इन फर्जी आंकड़ों का खंडन किया है। निम्न तालिका के अनुसार सीएमआईई रिपोर्ट की मासिक तुलना उचित प्रतीत नहीं होती है क्योंकि राज्य के लिए बेरोजगारी दर के प्रतिशत में भारी उतार-चढ़ाव की सूचना दी गई है। हालांकि, सीएमआईई की वेबसाइट या उनकी सार्वजनिक विज्ञप्ति में इसका कोई औचित्य नहीं दिया गया है।

| क्रमांक | मासिक रिपोर्ट | बेरोजगारी दर |
|---------|------------------|--------------|
| 1 | जनवरी-2022 | 23.4% |
| 2 | फरवरी-2022 | 30.9% |
| 3 | मार्च-2022 | 26.5% |
| 4 | अप्रैल-2022 | 34.5% |
| 5 | मई-2022 | 24.6% |
| 6 | जून-2022 | 30.5% |
| 7 | जुलाई-2022 | 26.9% |
| 8 | अगस्त-2022 | 37.3% |
| 9 | सितंबर-2022 | 22.9% |
| 10 | अक्टूबर-2022 | 31.7% |
| 11 | नवंबर-2022 30.6% | |
| 12 | दिसंबर-2022 | 37.4% |
| 13 | जनवरी-2023 | 21.7% |
| | | |

❖ रोजगार और बेरोजगारी का डेटा स्रोत आधिकारिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण(PLFS) है जो 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) द्वारा आयोजित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार,यहां तक ि श्रम और रोजगार मंत्रालय,भारत सरकार ने भी उपभोक्ता पिरामिड घरेलू सर्वेक्षण के लिए सीएमआईई द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है,जो िक यह वर्ष में तीन बार आयोजित करता है। मंत्रालय ने कहा िक पूरी कामकाजी उम्र की आबादी के लिए रोजगार की तलाश में नौकरियों में लगे रहना संभव नहीं है, क्योंिक कुछ लोग "या तो खुद के उपभोग के लिए वस्तुओं के उत्पादन,अवैतिनक घरेलू गतिविधियों या घर के सदस्यों के लिए दूसरों के बीच स्वेच्छा से देखभाल सेवाओं और प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों में लगे हुए हैं।"

सीएमआईई की कार्यप्रणाली बड़े पैमाने पर शहरी उत्तरदाताओं पर जोर देती है और सर्वेक्षण उनकी अपनी कार्यप्रणाली पर आधारित होते हैं, जबिक पीएलएफएस पद्धित अत्यधिक वैज्ञानिक और आधिकारिक के साथ-साथ शैक्षणिक हलकों में स्वीकार्य रही है इसलिए परिणाम पीएलएफएस (एनएसओ) डेटा के साथ अत्यधिक असंगत हैं।

पीएलएफएस द्वारा हरियाणा में बताए गए बेरोजगारी दर के आंकड़े निम्नलिखित तालिका में हैं:-

| क्रमांक | वार्षिक रिपोर्ट | बेरोजगारी दर (पीएलएफएस) |
|---------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 2017-18 | 8.6% |
| 2 | 2018-19 | 9.2% |
| 3 | 2019-20 | 6.5% |
| 4 | 2020-21 | 6.3% |
| 5 | 2021-22 | 10.2% |

यह उल्लेख करना उचित है कि रोजगार विभाग केवल रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत आवेदकों के डेटा के आधार पर बेरोजगारी दर पर रिपोर्ट तैयार करता है जिसे बेरोजगारी दर की गणना के लिए एक पूर्ण डेटासेट के रूप में नहीं माना जा सकता है।

❖ हरियाणा सरकार शिक्षित युवाओं के सम्मान को महत्व देते हुए उन्हें लाभदायक कार्यों में लगाने हेतु निरंतर प्रयास कर रही है | इसलिए सरकार ने शिक्षित युवा भत्ता व मानदेय योजना – 2016 जो कि सक्षम युवा योजना के नाम से जानी जाती है, को हरियाणा स्वर्ण जयंती उत्सव पर 01 नवम्बर 2016 को पात्र स्नातकोत्तर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता व 100 घंटे मानदकारी के लिए मानदेय प्रदान करने के लिए शुरू की | बाद में, योजना के तहत राज्य के पंजीकृत विज्ञान, इंजीनियरिंग, विज्ञान समकक्ष और वाणिज्य स्नातकों, कला स्नातकों को शामिल कर लिया गया है | अगस्त 2019 से 10+2 पास प्रार्थियों को भी योजना में सम्मिलित कर लिया गया | इस योजना के तहत पात्र स्नातकोत्तर बेरोजगारों को ₹ 3000/-, पात्र स्नातक बेरोजगारों को ₹ 1500/-, तथा 10+2 पास बेरोजगारों को ₹ 900/-, प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता एवं 100 घंटे कार्य करने की एवज में ₹ 6000/-, प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जा रहा है |

योजना के प्रारम्भ से लेकर 13.02.2023 तक कुल 3,96,428 सक्षम युवाओं के आवेदन अनुमोदित किये गए तथा कुल 1,75,749 (स्नातकोत्तर- 54,447, स्नातक-85,813, 10+2- 35,489) सक्षम युवाओं को मानद कार्य के लिए नामित किया गया | इस दौरान ₹1443.51 करोड़ बेरोजगारी भत्ता व ₹898.64 करोड़ मानदेय के रूप में वितरित की गई | इसी समय के दौरान, विभिन्न क्षेत्रों में 9,167 सक्षम युवाओं को रोजगार दिया गया तथा 17,924 सक्षम युवाओं को विभिन्न ट्रेड्स में कौशल प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया |

- ❖ आवेदकों की रोजगार क्षमता बढ़ाने और कुशल वर्ग की बाजार की मांग को पूरा करने के लिए युवाओं को हरियाणा कौशल विकास मिशन (एचएसडीएम) के माध्यम से कौशल प्रिशिक्षण देकर उनके कौशल विकास की उचित व्यवस्था की गई है। 13-02-2023 तक 17,924 सक्षम युवाओं को कौशल प्रिशिक्षण के लिए नामित किया गया है |
- ❖ हरियाणा लोक सेवा आयोग ग्रुप 'ए' और 'बी' सेवाओं की नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है। संबंधित विभागों से अनुरोध प्राप्त करने के बाद आयोग द्वारा रिक्तियों को विज्ञापित किया जाता है और उसके बाद भर्ती परीक्षा/साक्षात्कार आयोजित किया जाता है जिसके आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। चयनित अभ्यर्थियों की

सिफारिश सरकार को भेजी जाती है। इस प्रकार आयोग द्वारा पिछले 8 वर्षों के दौरान राज्य में 4,059 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक पूरा किया है।

❖ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप 'सी' और 'डी' सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है और राज्य सरकार द्वारा आवश्यक होने पर ग्रुप 'बी' सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए बुलाया जा सकता है। आयोग विभागों द्वारा आयोग को भेजी गई मांगों के अनुसार पदों पर चयन के लिए चयन का तरीका तैयार करता है और मानदंड तय करता है, जो हिंदी, अंग्रेजी समाचार पत्रों और वेबसाइट में विधिवत विज्ञापित होते हैं। आयोग ने पिछले 8 वर्षों के दौरान राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से 97,062 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया है।